Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **पाली में व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की पाली–प्रथम इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये शकुर खां व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति–बर, तहसील रायपुर, जिला पाली को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि–ऋण खाता में जमा राशि पुनः परिवादी को देने तथा एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में शकुर खां व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति–बर, तहसील रायपुर, जिला पाली द्वारा कुल ऋण राशि के दस प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी पाली–प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपत चंद** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये शकुर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां निवासी रेपड़ावास, थाना शिवपुरा, तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी मकान नं0 17, माँ अम्बे नगर, आईओसी कॉलोनी के पीछे, सेन्दड़ा रोड, ब्यावर हाल व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति–बर, तहसील रायपुर, जिला पाली को परिवादी से 15 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।